उत्तरांचल शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु–7
संख्या: 12 / xxvii(7) / 2006
देहरादून:दिनांक:15 अप्रैल,06

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप सं0189 / XXVii(7) / 2006 दि0:6 मार्च,2006 के द्वारा 9नवम्बर,2000 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर्स के विषय में 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई राहत को महंगाई पेंशन में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन उक्त कार्यालय ज्ञाप के दूसरे प्रस्तर में उक्त तथ्य का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण कतिपय पेंशनर संघो के द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञाप के स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 6 मार्च,2006 की व्यवस्था दिनांक: 9 नवम्बर,2000 के पूर्व उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से सेवानिवृत्त या उत्तरांचल राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे है उत्तर प्रदेश राज्य के पेशनर्स के लिए 50 प्रतिशत महॅगाई राहत के मूल पेंशन में मॅहगाई पेंशन के रूप में मर्जर की सुविधा दिनांक 1 अप्रैल,2005 के स्थान पर प्राकल्पित आधार पर दिनांक 1 अप्रैल,2004 से ही अनुमन्य की जायेगी ।

2.उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6 मार्च,2006 की तृतीय पंक्ति में शब्द" **मूल वेतन**" के स्थान पर "**मूल पेंशन**" पढ़ा जाय।"

3.उपरोक्त स्पष्टीकरण एवं संशोधन के अलावा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6 मार्च,2006 के शेष सभी प्राविधान यथावत रहेगें ।

भवदीय
राधा रतूड़ी
सचिव

संख्या:12(1) / xxvii(7) / 2006 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तरांचल शासन ।
2. प्रमुख सचिव,वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष,उत्तरांचल।

4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तरांचल,देहरादून ।

5. सचिव,विधानसभा,उत्तरांचल,देहरादून ।

6. महानिबंधक,उच्च न्यायालय,उत्तरांचल,नैनीताल ।

7. निदेशक,लेखा एवं हकदारी,उत्तरांचल,देहरादून ।

8. निदेशक,कोषागार वित्त एवं सेवायें,उत्तरांचल ।

9. क्षेत्रीय अपर निदेशक,कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमायूँ ।

10. महालेखाकार उत्तरांचल,ओबैराय भवन,सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून ।

12. रिजनल प्रविडेन्ट फण्ड़ कमीशनर,कानपुर/देहरादून ।

13. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल ।

14. निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)

अपर सचिव